उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-08/2018/347(2)/78-2-2018-36आई.टी./2000

लखनऊः दिनांकः 6 जून 2018

शुद्धि पत्र

प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के आदेश संख्या-347(1)/78-2-2018-36आई.टी./2000 दिनांक 29.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है के विषय में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था	संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था
विषय- **^ वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं के लिए प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।**	**विषय-** **^वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार के केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र के प्रबन्धन रख-रखाव एवं संचालन तथा शासन के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जाने वाली परामर्शी सेवाओं के लिए प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।^**

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

हरी राम
उप सचिव

संख्या-347(3)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उद्योग निदेशक उद्योगकानपुर
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8- राज्य समन्वयक] सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय 125 जवाहर भवन लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in